


तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज

18¹¹/₂₄

पत्रावली पेश हुई। स्वयं वादीगण अनुपस्थित।
अभि. वादीगण भी अनुपस्थित। अन्ति.
प्रति. उपस्थित। तीन बार कक-रुकु कर
भावाज लगाने गई। लेकिन कोई भी
उपस्थित नहीं हुआ। अतः प्रकरण को
मन्तगत आदेश 9 नियम 8 CPC अदम
हाजरी मयम पैरवी से खारीज किया
जाता है। पत्रावली फैसल शुमार लेकर
बम्बुर से कम होकर बाहू तामील
तकमीन शरिबल दफतर हो।



उपखण्ड अधिकारी

पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

